विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, दुर्ग

दुर्ग क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर नाका दुर्ग

क्रमांक / विउशिनिफोदु / 2026 / 344

दुर्ग, दिनांक - 28/09/26

(अध्यक्ष — श्री पी. वी. सजीव)
(सदस्य — श्रीमती ममता कश्यप)
प्रकरण क्रमांक: 163
दिनांक: 19/06/2026

श्री गणेश वारे, पिता स्व. मोहन लाल वारे
ग्राम–हेमाबंद, दाढ़ी, जिला–बेमेतरा (छ.ग.)
बी.पी. नं. **1000044312**
मोबाइल नं. **7000039683**

आवेदक

विरुद्ध

1. कार्यपालन अभियंता (संचा. / संधा.), संभाग,
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, बेमेतरा।
2. सहायक अभियंता (उपसंभाग),
   छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, दाढ़ी।

अनावेदकगण

आदेश

(आज दिनांक 28 / 09 / 2026 को पारित किया गया)

1. परिवाद का संक्षिप्त विवरण

आवेदक श्री गणेश वारे द्वारा अपने स्वर्गीय पिता श्री मोहन लाल वारे के नाम पर ग्राम सुरकी, हेमाबंद, दाढ़ी, जिला बेमेतरा में स्थापित हालर मिल हेतु विद्युत कनेक्शन क्रमांक 1000044312 के संबंध में यह शिकायत प्रस्तुत की गई है।

आवेदक का कथन है कि उसके पिता की मृत्यु दिनांक 27.08.2025 को हो चुकी है तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उक्त परिसर में विद्युत का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसके बावजूद कनेक्शन में लंबे समय से Door Lock के आधार पर बिलिंग की जा रही है।

आवेदक द्वारा कनेक्शन को स्थायी रूप से बंद/डिस्मेंटल करने, नियमानुसार लॉक रिबेट/बिलिंग में आवश्यक सुधार करने, सुरक्षा निधि को अंतिम देयक में समायोजित करने तथा अंतिम बिल प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है।

आवेदक का यह भी कथन है कि उसने कनेक्शन बंद करने हेतु संबंधित कनिष्ठ यंत्री के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना चाहा, किंतु आवेदन स्वीकार नहीं किया गया तथा आवेदक को मीटर निकालकर स्वयं कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया।

अतः आवेदक द्वारा कनेक्शन डिस्मेंटल करने, गलत Door Lock Billing को निरस्त/संशोधित करने, सुरक्षा निधि का समायोजन करने तथा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने की मांग की गई है।

2. निर्विवाद तथ्य

प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों एवं उभय पक्षों के कथनों के आधार पर निम्न तथ्य विवादित नहीं हैं :–

1. आवेदक के पिता स्व. श्री मोहन लाल वारे के नाम पर ग्राम सुरकी, हेमाबंद, जिला बेमेतरा स्थित हालर मिल हेतु औद्योगिक प्रयोजन का विद्युत कनेक्शन स्थापित है।

2. उक्त विद्युत कनेक्शन का बी.पी. क्रमांक 1000044312 है।

3. उक्त कनेक्शन का स्वीकृत भार 15 HP है।

4. मूल उपभोक्ता श्री मोहन लाल वारे की मृत्यु दिनांक 27.08.2025 को हुई।

3. आवेदक का कथन

आवेदक का कथन है कि उसके पिता स्व. श्री मोहन लाल वारे द्वारा हालर मिल प्रयोजन हेतु उक्त विद्युत कनेक्शन लिया गया था।

दिनांक 27.08.2025 को उनके पिता की मृत्यु के पश्चात उक्त कनेक्शन का उपयोग बंद हो गया तथा परिसर में विद्युत का कोई उपयोग नहीं किया जा रहा है।

आवेदक के अनुसार कनेक्शन बंद करने हेतु उसने संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु आवेदन स्वीकार नहीं किया गया और आवेदक को मीटर स्वयं निकालकर कार्यालय में जमा करने के लिए कहा गया।

आवेदक द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि कनेक्शन को डिस्मेंटल कर अंतिम बिल जारी किया जाए तथा उपलब्ध सुरक्षा निधि को अंतिम देयक में समायोजित किया जाए।

अतः आवेदक द्वारा मुख्यतः निम्न मांगें प्रस्तुत की गई हैं :–

1. विद्युत कनेक्शन को नियमानुसार डिस्मेंटल/स्थायी रूप से बंद किया जाए।

2. लंबे समय से की जा रही Door Lock Billing की जांच कर नियमानुसार बिलिंग में संशोधन किया जाए।

3. वास्तविक देय राशि निर्धारित कर अंतिम बिल जारी किया जाए।

4. उपलब्ध सुरक्षा निधि को अंतिम देयक में नियमानुसार समायोजित किया जाए।

5. मीटर जलने के संबंध में आवेदक पर आरोपित राशि की उचित जांच की जाए।

6. आवेदन स्वीकार न करने अथवा प्रकरण के निराकरण में लापरवाही के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाए।

4. अनावेदकगण का उत्तर

अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेजों में मुख्यतः निम्न तथ्य बताए गए हैं :–

1. उक्त कनेक्शन श्री मोहन लाल वारे, ग्राम सुरकी के नाम पर बी.पी. क्रमांक 1000044312 से स्थापित है।

2. आवेदक श्री गणेश राम वारे के कथनानुसार उनके पिता की मृत्यु दिनांक 27.08.2025 को हो चुकी है तथा उसके बाद उक्त परिसर में परिवार के किसी सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा निवास नहीं किया जा रहा है। इसका उल्लेख स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में किया गया है।

3. अनावेदकगण के अनुसार आवेदक द्वारा उक्त कनेक्शन में अभी तक नाम परिवर्तन नहीं कराया गया है।

4. अनावेदकगण का यह भी कथन है कि विद्युत बिल पर मोबाइल नंबर अंकित होने के कारण प्रत्येक माह बिल संबंधी जानकारी मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध होती रही, फिर भी आवेदक द्वारा बिल संबंधी कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई।

5. दिनांक 20.07.2026 के स्थल निरीक्षण के दौरान परिसर में स्थापित मीटर पूर्ण रूप से जला हुआ पाया गया।

6. अनावेदकगण का कथन है कि कट–आउट का फ्यूज शॉर्ट सर्किट के कारण नहीं जला था तथा कट–आउट बोर्ड, हालर मिल का स्टार्टर एवं अन्य उपकरण सामान्य अवस्था में पाए गए। इस आधार पर अनावेदकगण ने आशंका व्यक्त की है कि मीटर को जानबूझकर जलाया गया हो सकता है।

7. अनावेदकगण के अनुसार मीटर क्षतिग्रस्त होने के कारण कंपनी को मीटर की राशि एवं राजस्व की हानि हुई है तथा मीटर की राशि ₹2,424/– की वसूली योग्य है।

8. अनावेदकगण द्वारा यह भी कथन किया गया है कि परिसर के रिक्त होने की स्थिति में उपभोक्ता का यह दायित्व था कि वह नियमानुसार विशेष मीटर रीडिंग हेतु आवेदन प्रस्तुत करता।

9. अनावेदकगण के अनुसार Door Lock में दर्ज रीडिंग एवं बकाया राशि के लिए उपभोक्ता/उपयोगकर्ता स्वयं जिम्मेदार है।

अनावेदकगण द्वारा निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं :–

1. दिनांक 20.07.2026 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

2. छत्तीसगढ़ विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 की संबंधित धाराओं की प्रति।

3. SAP से निर्मित बिल समरी।

4. मीटर रीडिंग डायरी की छायाप्रति।

5. विचारणीय प्रश्न

प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं :–

1. क्या आवेदक के परिसर में स्थापित विद्युत कनेक्शन की लंबे समय तक Door Lock के आधार पर बिलिंग किया जाना नियमानुकूल था?

2. क्या उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात विद्युत कनेक्शन को बंद/डिस्कनेक्ट करने हेतु आवेदक द्वारा किए गए अनुरोध पर अनावेदकगण द्वारा अपेक्षित कार्रवाई की गई?

3. क्या अनावेदकगण द्वारा मीटर के जलने के संबंध में प्रस्तुत तथ्य तथा मीटर की राशि ₹2,424/– की वसूली का दावा स्वीकार किए जाने योग्य है?

6. विवेचना एवं निष्कर्ष

फोरम द्वारा आवेदक का आवेदन, अनावेदकगण का जवाब, मीटर रीडिंग डायरी, बिलिंग अभिलेख, स्थल निरीक्षण रिपोर्ट तथा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों का सम्यक अवलोकन किया गया।

अभिलेखों के परीक्षण से निम्न तथ्य सामने आते हैं :–

1. श्री मोहन लाल वारे के नाम पर ग्राम सुरकी, हेमाबंद, जिला बेमेतरा स्थित हालर मिल हेतु औद्योगिक प्रयोजन का विद्युत कनेक्शन स्थापित है, जिसका बी.पी. क्रमांक 1000044312 है।

2. मूल उपभोक्ता श्री मोहन लाल वारे की मृत्यु दिनांक 27.08.2025 को हुई।

3. आवेदक श्री गणेश वारे, मृत उपभोक्ता के पुत्र हैं।

4. प्रस्तुत बिलिंग गणना पत्रक के अनुसार दिनांक 23.08.2025 को ₹3,600/– का अंतिम भुगतान किया गया था। इसके पश्चात भुगतान नहीं किया गया तथा मई 2026 की स्थिति में ₹28,180/– की राशि बकाया दर्शाई गई है।

5. उपलब्ध मीटर रीडिंग अभिलेखों के अनुसार उक्त कनेक्शन में मई 2025 से लगातार Door Lock की स्थिति में बिलिंग की जाती रही है।

6.1 विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 के संबंध में निष्कर्ष

यह प्रश्न विचारणीय है कि क्या लंबे समय तक Door Lock के आधार पर बिलिंग किया जाना नियमसम्मत था।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 के अध्याय 9 की कंडिका 9.12 एवं 9.13 विशेष रूप से प्रासंगिक हैं।

कंडिका 9.12 के अनुसार, यदि किसी कारण से मीटर रीडिंग के लिए उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो मीटर रीडर द्वारा उपभोक्ता को लिखित सूचना देकर मीटर को रीडिंग हेतु उपलब्ध कराने अथवा स्वयं रीडिंग उपलब्ध कराने के लिए कहा जाना है। यदि सूचना के पश्चात भी मीटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो

लाइसेंसी को पिछले वित्तीय वर्ष की औसत मासिक खपत के आधार पर अस्थायी बिल जारी करने का प्रावधान है।

कंडिका 9.13 में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसी provisional billing लगातार दो billing months/billing cycles से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके पश्चात भी मीटर रीडिंग हेतु उपलब्ध न होने पर नियमानुसार नोटिस देकर आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

वर्तमान प्रकरण में उपलब्ध अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि संबंधित कनेक्शन में मई 2025 से लगातार Door Lock के आधार पर बिलिंग होती रही।

अतः यदि मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं थी, तो अनावेदकगण के लिए यह आवश्यक था कि प्रदाय संहिता में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उपभोक्ता को सूचना देकर मीटर रीडिंग हेतु उपलब्ध कराया जाता तथा लंबे समय तक provisional/Door Lock billing जारी रखने के स्थान पर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाती।

अनावेदकगण द्वारा ऐसे लगातार Door Lock billing के औचित्य में पर्याप्त अभिलेख/नोटिस प्रस्तुत नहीं किया गया है।

इसके अतिरिक्त अनावेदकगण के अपने कथन के अनुसार उपभोक्ता की मृत्यु के पश्चात परिसर में कोई व्यक्ति निवासरत नहीं था तथा विद्युत उपयोग किए जाने का भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि लगातार लंबे समय तक Door Lock के आधार पर की गई बिलिंग को नियमसम्मत नहीं माना जा सकता।

अनावेदकगण द्वारा अपने लिखित उत्तर में प्रदाय संहिता की कंडिका 9.5, 9.6 एवं 9.7 का उल्लेख किया गया है जो कि घरेलु उभोक्ताओं के संबंध में है। प्रस्तुत प्रकरण में उक्त प्रावधान इस विवाद के निराकरण के लिए प्रत्यक्षतः प्रासंगिक नहीं पाए जाते। वर्तमान मामले में मीटर की उपलब्धता एवं लगातार Door Lock billing से संबंधित कंडिका 9.12 एवं 9.13 अधिक प्रासंगिक हैं।

अतः मई 2025 से की गई लगातार Door Lock billing की नियमानुसार पुनः जांच कर वास्तविक देय राशि निर्धारित किया जाना उचित है।

6.2 विचारणीय प्रश्न क्रमांक 2 के संबंध में निष्कर्ष

आवेदक का कथन है कि उसके पिता की मृत्यु के पश्चात उसने विद्युत कनेक्शन बंद/डिस्मेंटल करने के लिए संबंधित कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करने का प्रयास किया, किंतु आवेदन स्वीकार नहीं किया गया।

इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 की कंडिका 7.24, 7.25 एवं 7.26 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है।

कंडिका 7.24 के अनुसार उपभोक्ता की मृत्यु अथवा परिसर के स्वामित्व/अधिभोग में परिवर्तन की स्थिति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कनेक्शन का नाम परिवर्तन किया जा सकता है।

कंडिका 7.26 में मृत उपभोक्ता के कानूनी उत्तराधिकारी के नाम कनेक्शन स्थानांतरित करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है तथा कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा निर्धारित दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

वर्तमान मामले में आवेदक मृत उपभोक्ता का पुत्र है। अतः आवेदक यदि कनेक्शन अपने नाम स्थानांतरित कराना चाहता है, तो उसे प्रदाय संहिता के अनुसार निर्धारित दस्तावेजों सहित आवेदन करना होगा।

किन्तु वर्तमान परिवाद का मूल उद्देश्य कनेक्शन का उपयोग जारी रखना नहीं बल्कि कनेक्शन को बंद/डिस्मेंटल कर अंतिम देयक प्राप्त करना है।

ऐसी स्थिति में अनावेदकगण का यह दायित्व था कि आवेदक के आवेदन को प्राप्त कर उसकी जांच करते और प्रदाय संहिता के अनुसार कनेक्शन बंद करने, मीटर की अंतिम रीडिंग/स्थिति दर्ज करने, देय राशि निर्धारित करने तथा अंतिम बिल जारी करने की कार्रवाई करते।

आवेदक को स्वयं मीटर निकालकर कार्यालय में जमा करने के लिए कहना, जबकि मीटर एवं विद्युत संयोजन लाइसेंसी के अभिलेख एवं नियंत्रण का विषय है, उचित प्रक्रिया नहीं मानी जा सकती।

अतः फोरम का निष्कर्ष है कि आवेदक द्वारा कनेक्शन बंद करने का अनुरोध किए जाने पर अनावेदकगण को नियमानुसार आवेदन स्वीकार कर विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी।

6.3 विचारणीय प्रश्न क्रमांक 3 के संबंध में निष्कर्ष

अनावेदकगण द्वारा दिनांक 20.07.2026 की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार परिसर में स्थापित मीटर पूर्ण रूप से जला हुआ पाया गया।

अनावेदकगण का आरोप है कि मीटर जानबूझकर जलाया गया है तथा इस आधार पर ₹2,424/– की मीटर राशि की वसूली योग्य बताई गई है।

इस संबंध में प्रदाय संहिता, 2011 की कंडिका 9.4 महत्वपूर्ण है। उक्त प्रावधान के अनुसार मीटर रीडर का दायित्व है कि वह ऐसे प्रत्येक कनेक्शन का विवरण दर्ज करे जहां मीटर की रीडिंग नहीं ली जा सकी हो अथवा मीटर stopped/suspected defective हो तथा संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसके पश्चात defective/stopped meter को समय पर बदलने एवं खपत का उचित आकलन करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जानी है।

वर्तमान प्रकरण में अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि संबंधित कनेक्शन में लंबे समय से Door Lock की स्थिति बनी हुई थी। इसके बावजूद मीटर की स्थिति के संबंध में समय पर आवश्यक कार्रवाई किए जाने का पर्याप्त अभिलेख फोरम के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है।

केवल इस आधार पर कि कट–आउट का फ्यूज नहीं जला और मीटर जला हुआ पाया गया, यह निष्कर्ष निकालना कि मीटर को जानबूझकर जलाया गया, पर्याप्त नहीं है। इसके लिए तकनीकी परीक्षण, कारण निर्धारण रिपोर्ट, विद्युत निरीक्षण रिपोर्ट अथवा अन्य विश्वसनीय साक्ष्य आवश्यक हैं।

अनावेदकगण द्वारा ऐसा कोई स्वतंत्र तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो कि मीटर को आवेदक अथवा मृत उपभोक्ता द्वारा जानबूझकर क्षतिग्रस्त किया गया।

अतः फोरम के समक्ष उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर जानबूझकर मीटर जलाने का आरोप प्रमाणित नहीं होता।

फलतः मात्र उक्त आरोप के आधार पर ₹2,424/– की मीटर राशि की वसूली को उचित नहीं माना जा सकता।

7. समग्र निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना के आधार पर फोरम निम्न निष्कर्ष पर पहुंचता है :–

1. संबंधित कनेक्शन में लंबे समय तक Door Lock के आधार पर बिलिंग की गई, जबकि प्रदाय संहिता के अनुसार ऐसी provisional/Door Lock billing अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखी जा सकती।

2. अनावेदकगण द्वारा यह प्रमाणित नहीं किया गया है कि लगातार Door Lock billing के दौरान प्रदाय संहिता में निर्धारित नोटिस एवं अन्य आवश्यक प्रक्रिया का समुचित पालन किया गया।

3. आवेदक के पिता की मृत्यु के पश्चात परिसर में विद्युत उपयोग किए जाने का कोई ठोस प्रमाण अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. आवेदक द्वारा कनेक्शन बंद/डिस्मेंटल करने के अनुरोध पर अनावेदकगण को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन स्वीकार कर आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए थी।

5. मीटर जला हुआ पाया जाना स्वीकार है लेकिन इस संबंध में अनावेदकगण द्वारा कोई पृथक तकनीकी अथवा संक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हो कि मीटर किन कारणों से जला है

6. कनेक्शन का अंतिम बिल वास्तविक रूप से निर्धारित देय राशि के आधार पर तैयार किया जाना तथा उपलब्ध सुरक्षा निधि को नियमानुसार अंतिम देयक में समायोजित किया जाना उचित है।

8. आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर फोरम निम्न आदेश पारित करता है :–

1. आवेदक का परिवाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

2. मई 2025 से संबंधित कनेक्शन में की गई लगातार Door Lock billing की अनावेदकगण द्वारा पुनः जांच की जाए तथा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत प्रदाय संहिता, 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार वास्तविक एवं नियमानुसार देय राशि का पुनर्गणना/पुनर्निर्धारण किया जाए।

3. पुनर्गणना करते समय ऐसे अवधि के लिए, जिसमें मीटर रीडिंग उपलब्ध नहीं थी तथा परिसर में विद्युत उपयोग किए जाने का कोई प्रमाण नहीं है, केवल Door Lock billing के आधार पर देयता निर्धारित न की जाए। बिलिंग का निर्धारण प्रदाय संहिता के लागू प्रावधानों के अनुसार किया जाए।

4. अनावेदकगण आवेदक के अनुरोध के अनुसार संबंधित विद्युत कनेक्शन को नियमानुसार डिस्मेंटल/स्थायी रूप से बंद करने की कार्रवाई करें।

5. कनेक्शन बंद किए जाने के समय वास्तविक रूप से देय विद्युत राशि का अंतिम बिल तैयार किया जाए तथा उपलब्ध सुरक्षा निधि को लागू नियमों के अनुसार अंतिम देयक में समायोजित किया जाए। यदि सुरक्षा निधि समायोजन के पश्चात कोई राशि वापसी योग्य हो, तो नियमानुसार उसका भुगतान/समायोजन किया जाए।

6. अनावेदकगण संशोधित बिलिंग गणना पत्र, अंतिम देयक तथा सुरक्षा निधि के समायोजन का विवरण तैयार कर उसकी प्रति आवेदक को उपलब्ध कराएं तथा इस आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट 30 दिवस के भीतर फोरम के समक्ष प्रस्तुत करें।

7. यदि पुनर्गणना के पश्चात उपभोक्ता के खाते में कोई अतिरिक्त राशि जमा/वसूल पाई जाती है, तो लागू नियमों के अनुसार उक्त राशि का आगामी देयकों में समायोजन अथवा वापसी की कार्रवाई की जाए।

8. यदि आवेदक इस आदेश से संतुष्ट न हो, तो वह इस आदेश की दिनांक से 45 दिवस के भीतर माननीय विद्युत लोकपाल, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आयोग परिसर, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर, रायपुर (छत्तीसगढ़) के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है।

9. उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण का निराकरण किया जाता है।

10. आदेश पारित।

आदेश मेरे द्वारा बोलकर टंकित कराया गया।

(ममता कश्यप)
सदस्या
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग

(पी.वी. सजीव)
अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत
निवारण फोरम दुर्ग